FORM NO III

APP-A

Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रीमती तंगी पत्नी भोला जाति रावत बनाम सेली उर्फ भोला जाति रावत व अन्य

किस्म मुकदमा ग्रा.प्रा.पत्र ओ.41 R19 जाब्ता धारा 151 CPC (बाजदायरी) नम्बर 10/2020 2020/00010 सन् 2020 (अजमेर)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री एन.एस.राजावत	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
24.1.20	यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री एन.एस.राजावत एड़वोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दिनांक 10.10.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के कारण अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत् पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी के प्रस्तुत कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र बाजदायरी में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी.(बाजदायरी) पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी.(बाजदायरी) व अपील का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है किन्तु अभिभाषक अपीलांट अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड से आवश्यक रूप से पेश करेगें। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी.(बाजदायरी) को न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर	

आज्ञा प्राप्त स्वीकार 24/1/2020